

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—: अधिघोषणा :-

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा संख्या 79/भू अ०

दिनांक-16/01/2021

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- बासुकीनाथ से चितरा नई बी०जी० रेल लाईन परियोजना हेतु ग्राम-मोहलीडीह थाना-सारठ, थाना सं०-609, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर के कुल-1.105 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 1.105 एकड़ है और जो ग्राम-मोहलीडीह थाना-सारठ, थाना सं०-609, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क. स.	खात I सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	7	401	रैयती	धानी-3	0.105	तपन कुमार मंडल वो दिलीप कुमार मंडल वो दिपांकर मंडल पे० स्व० हराधन मंडल वो नित्यानन्द मंडल वो कलाचन्द मंडल पे० स्व० नारायण मंडल वो अशोक कुमार मंडल वो समीर मंडल माता स्व० रामकिशोरी देवी वो प्रलाद गोराइ ध्रुवपत गोराइ पे० स्व० श्रीकान्त गोराइ नि०नि० ग्राम।	पारस वनी, थाना संख्या I, 475	पहरी जीह, थाना सं० 610	उपर बंधा, थाना सं० 611	बरजोरी, थाना सं० 608
2	7	402	रैयती	पोखर	1.00	तथैव।				
कुल रकवा-					1.105					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम स०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्रामX थाना X थाना संख्या X अंचल X
जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी X के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

देवघर

ज्ञापांक 79 / भू अ०, देवघर, दिनांक 16/01/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

(Signature)
16/1/21

(Signature)
16/1/21
अपर समाहता
देवघर

16/1/2021
समाहता-सह-उपायुक्त,
देवघर।